अति तत्काल

फा. सं.18-1/2022-सीसी-ईएस
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(वाणिज्यिक फसल प्रभाग)
****

449A, कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विषय:- 2023 मौसम के लिए कोपरा हेतु मूल्य नीति- कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा।

भारत सरकार ने 2023 मौसम के लिए कोपरा हेतु मूल्य नीति को अनुमोदन प्रदान कर दिया है और निम्नानुार निर्णय लिए गए है:

i. 2023 मौसम के लिए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाले मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रमश: ₹10860/- प्रति क्विंटल और ₹11750/- प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

ii. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 2023 मौसम के लिए मिलिंग कोपरा की एफएक्यू किस्म की एमएसपी के आधार पर परिपक्व छिलके-रहित नारियल का एमएसपी निर्धारित करेगा।

iii. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ)मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत कोपरा और छिलके रहित नारियल की खरीददारी हेतु केन्द्रीय नोडल ऐजेंसी (सीएनए) होगी। तदनुसार, यह ऐजेंसियां खरीद प्रचालनों के लिए राज्य ऐजेंसियों को उचित रूप से संलग्न करेगी।

2. इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय सूचित करते हुए उक्त निर्णयों और गैर-मूल्य सिफारिशों (अनुबंध I) पर उपयुक्त कार्रवाई करें।

प्रमोदिता

(प्रोमोदिता सतीश)
सलाहकार
दूरभाष: 23382540

सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. **संयुक्त सचिव (बागवानी),**
   कृषि और किसान कल्याण विभाग
   कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. **संयुक्त सचिव (निवेश और मूल्य समर्थन),**
   कृषि और किसान कल्याण विभाग
   कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. **सलाहकार (व्यापार),**
   कृषि और किसान कल्याण विभाग
   कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. **संयुक्त सचिव (विपणन),**
   कृषि और किसान कल्याण विभाग
   कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. **संयुक्त सचिव (फसलें),**
   कृषि और किसान कल्याण विभाग
   कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. **संयुक्त सचिव (एम एंड टी),**
   कृषि और किसान कल्याण विभाग
   कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. **संयुक्त सचिव (क्रेडिट),**
   कृषि और किसान कल्याण विभाग
   कृषि भवन, नई दिल्ली।
8. **संयुक्त सचिव (तिलहन),**
   कृषि और किसान कल्याण विभाग
   कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. **महानिदेशक, आईसीएआर,**
   कृषि भवन, नई दिल्ली।

(प्रोमोदिता सतीश)
सलाहकार
दूरभाष: 23382540

सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

1. **सचिव, व्यय विभाग,**
   वित्त मंत्रालय,
   129-ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
2. **सचिव, आर्थिक कार्य विभाग,**
   वित्त मंत्रालय,
   130, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
3. **सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,**
   उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
   कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
4. **सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग,**
   उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
   49, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5. **सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,**
   कमरा संख्या 201, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग
   खेलगांव, नई दिल्ली-110049
6. **सचिव, वाणिज्य विभाग,**
   वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
   कमरा संख्या 426, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली -110007
7. **सीईओ, नीति आयोग**
   नीति भवन, नई दिल्ली-110001
8. **संयुक्त सचिव,**
   प्रधान मंत्री कार्यालय
   साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
9. **संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिवालय**
   राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110001

प्रमोदिता

(प्रोमोदिता सतीश)

सलाहकार

दूरभाष: 23382540

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. **मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार,** प्रथम ब्लॉक, प्रथम तल, इंटेरिम गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स, आंध्र प्रदेश सचिवालय ऑफिस, वेलागापुडी, गुंटूर-522503.
2. **मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार**, सचिवालय, चेन्नई -600009.
3. **मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार**, कमरा सं. 321, तीसरी मंजिल, विधान सौंध, बैंगलोर-560001.
4. **मुख्य सचिव, केरल सरकार**, तिरूवनन्तपुरम-695015.
5. **मुख्य सचिव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन**, पी. ओ. चाटम, पोर्ट ब्लेयर-744101.
6. **प्रशासक, लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्र**, कावारती-682555.

प्रमोदिता

(प्रमोदिता सतीश)
सलाहकार
दूरभाष: 23382540

<u>**प्रतिलिपि सूचनार्थ:**</u>

1. **सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव**, कृषि भवन, नई दिल्ली.
2. **प्रधान सलाहकार के प्रधान निजी सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग**, कृषि भवन, नई दिल्ली.
3. **वरिष्ठ आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार के निजी सचिव, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय**, कृषि भवन, नई दिल्ली.
4. **सलाहकार (एफई), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय**, कृषि भवन, नई दिल्ली.
5. **सलाहकार (समन्वय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय**, कृषि भवन, नई दिल्ली.
6. **तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय आसूचना केंद्र, 341,** कृषि भवन, नई दिल्ली- को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को डी.ई.एस. तथा डीएसीएंडएफ़डबल्यू के वैबसाइट पर लोड करें।

प्रमोदिता

(प्रमोदिता सतीश)
सलाहकार
दूरभाष: 23382540

अनुबंध-I

2023 मौसम के लिए कोपरा हेतु मूल्य नीति पर सीएसीपी द्वारा रिपोर्ट में की गई गैर-मूल्य सिफारिशें

क्र. सं.	सिफारिशें
1	पुराने और जीर्ण पॉम, कीट व रोग, अव्यवस्थित कृषि और प्रबंधन पद्धतियां, नारियल की पारंपरिक किस्में नारियल की कम उत्पादकता के प्रमुख कारण हैं। 95 प्रतिशत से अधिक नारियल किसान अल्प-संसाधन वाले लघु धारक हैं और उपज का वर्तमान स्तर क्षमता से काफी कम है। अतः, आयोग सिफारिश करता है कि विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उच्च उपज वाली किस्मों को अपनाने, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, कीटों व रोगों का एकीकृत प्रबंधन और उपज में वृद्धि के लिए जीर्ण पॉम के बदले नए पौधे लगाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
2	नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) पुराने, जीर्ण और अनुत्पादक और रोग ग्रस्त पॉम को बदलकर गुणवत्ता वाले पौधे लगाने और मौजूदा वृक्षों के पुनरुज्जीवन के द्वारा एकीकृत प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से नारियल की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के घोषित उद्देश्य के साथ पुनर्रोपण और पुनरुज्जीवन कार्यक्रम लागू कर रहा है। आयोग सिफारिश करता है कि मुख्यतः सभी नारियल उत्पादक राज्यों में किसानों को नारियल के अच्छे पौधे समय पर उपलब्ध कराए जाएं और अधिक किसानों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाना चाहिए।
3	आयोग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीपीसीआरआई) और राज्य सरकारों द्वारा की गई कई प्रशंसनीय पहलों पर ध्यान दिया है जिनका उद्देश्य नारियल की उपज में सुधार करना है। आयोग अपनी सिफारिश को दोहराता है कि अनुसंधान संस्थानों को गुणवत्ता वाले बीजों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वांछित वाणिज्यिक विशेषताओं के साथ गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के लिए बीज उद्यान स्थापित करना चाहिए।
4	भारत में नारियल का उत्पादन घातक हठी संक्रामक कीटों और पौधों की बीमारियों से प्रभावित होता है जिससे बागों को काफी नुकसान होता है। आयोग ने सिफारिश की है कि उभरते नारियल के कीटों और बीमारियों के खिलाफ कार्यनीतियां विकसित की जानी चाहिए और 'एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन (आईपीडीएम)' दृष्टिकोण को नारियल के बागानों और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कीटों और रोगों का प्रतिरोध करने के प्रभावी साधन के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, आयोग एक संभावित विकल्प के रूप में अंतर-फसल को लोकप्रिय बनाने की सिफारिश करता है जो कीटों और बीमारियों से निपटने में मदद कर सकता है और किसानों की आय को भी सुरक्षित कर सकता है।
5	नारियल आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली (सीबीआईएफएस), नारियल की खेती को एक दीर्घकालिक और आकर्षक व्यवसाय बनाने का एक व्यावहारिक समाधान है। केला, काली मिर्च, मूंगफली, और दालचीनी उन फसलों में से हैं जिनकी खेती अधिकांश नारियल उत्पादक राज्यों/क्षेत्रों में नारियल के साथ अंतर-फसल के रूप में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, नारियल की खेती के

क्र. सं.	सिफारिशें
	साथ छोटे-मध्यम आकार के डेयरी, मुर्गी पालन और बकरी पालन के उद्यम भी किए जा सकते हैं। इसलिए, किसानों को मिश्रित खेती और नारियल के साथ इंटरक्रॉपिंग के संभावित लाभों के बारे में जागरूक करने और अंतर-फसल को अपनाने में मदद करने के लिए ठोस प्रयास, बेहतर प्रोत्साहन तंत्र और पर्याप्त प्रदर्शनों की आवश्यकता है।
6	प्रमुख राज्यों में श्रम की कमी और बढ़ती मजदूरी नारियल की खेती के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इसके अलावा, लंबे नारियल पेड़ों पर चढ़ने के पेशे से जुड़े काफी व्यावसायिक खतरे हैं। नारियल विकास बोर्ड ने *'नारियल के पेड़ के मित्र'* नामक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और *'केरा सुरक्षा बीमा योजना'* नामक एक बीमा योजना शुरू की है। इसके अलावा, किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कासरगोड में कृषि उपकरणों और मशीनरी के लिए एक कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) भी स्थापित किया गया है। आयोग सिफारिश करता है कि प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में अन्य केवीके द्वारा इसी तरह की पहल की जानी चाहिए ताकि लागत प्रभावी और उपयोगकर्ता अनुकूल मशीन/प्रौद्योगिकी विकसित की जा सके, विशेष रूप से नट्स की कटाई के लिए, जो कि कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से किसानों को किराए पर उपलब्ध कराई जा सकती है।
7	आयोग ने सिफारिश की है कि नारियल पाम बीमा योजना की कुछ विशेषताओं जैसे प्रीमियम दर, बीमित राशि और जोखिम कवरेज को पुन: व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि इस योजना को नारियल किसानों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों, कृषि/बागवानी विभागों के साथ-साथ किसानों/किसान संगठनों को प्रभावी जागरूकता और प्रचार अभियान आयोजित करने की आवश्यकता है जो कृषक समुदाय के बीच योजना को लोकप्रिय बनाने और अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। आयोग इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और अधिक बीमा कंपनियों को शामिल करने की भी सिफारिश करता है।
8	आयोग की सिफारिश है कि स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के समामेलन के माध्यम से एकीकृत कृषि प्रणालियों के समन्वय में सहायता करनी चाहिए। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले नारियल के पौधों का उत्पादन और वितरण, मृदा और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन, सिंचाई और जल उपयोग, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन उपायों को लागू करना, विस्तार गतिविधियों की योजना बनाना आदि शामिल हैं।
9	कुल नारियल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत अधिकांश उत्पादक देशों में घरेलू खपत के लिए है। बदलती खान-पान की आदतों और आय के बढ़ते स्तरों के परिणामस्वरूप अर्ध-प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। आयोग की सिफारिश है कि राज्य सरकारों को अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी में नारियल आधारित औद्योगिक पार्कों की स्थापना करके उद्यमियों की सहायता करनी चाहिए। इससे मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे टेंडर नट, नारियल पानी, नारियल की लकड़ी, ताड़ी, नीरा, गुड़, चीनी, सिरका, नारियल बोलि, नारियल शहद, कोको सॉस आदि के संगठित प्रसंस्करण को सुकर बनाने की सुविधा होगी। आयोग आगे सिफारिश करता है कि भारत को मूल्य वर्धित नारियल उत्पादों जैसे एक्टिवेटेड कार्बन, सूखा नारियल, नारियल का दूध/क्रीम, लंबे समय तक चलने वाले नारियल के ग्रेटिंग, नारियल चीनी/गुड़, नारियल सिरका आदि के उत्पादन पर बल देना

क्र. सं.	सिफारिशें
	चाहिए जिनकी मांग में आने वाले वर्षों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वृद्धि देखी जा सकती है।
10.	नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) छोटे किसानों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे समूहों में जोखिम कम करने, सर्वोत्तम पद्धत्तियों को लागू करने और उन्नत विपणन, बेहतर सौदेबाजी और मूल्यवर्धन के माध्यम से लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की अपार क्षमता है। इसलिए, आयोग नारियल के मूल्यवर्धन, विपणन और निर्यात के विशेषज्ञों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलनों, बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके सभी हितधारकों के सक्रिय सहयोग से इस कार्यक्रम को सुदृढ बनाने की सिफारिश करता है।
11.	लघु एवं सीमांत नारियल किसानों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) से लाभान्वित करने के लिए आयोग सिफारिश करता है कि पंचायत/गांव स्तर पर अधिक संग्रहण केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए। मूल्य समर्थन योजना से लाभान्वित होने के लिए किसान संघों के पास नारियल को कोपरा में बदलने और भंडारण अवसंरचना की सुविधा होनी चाहिए। चूंकि नारियल बारहमासी फसल है और उत्पादन और बाजार में उपलब्धता पर मौसमी परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं होता है इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि खरीद कार्यकलापों को छमाही पद्धति में सीमित करने के बजाय एमएसपी के बाजार मूल्य से कम होने की स्थिति में किसी भी समय खरीददारी की जा सकती है। यह खरीद की क्षमता को बढ़ाने और इसकी गुंजाइश को विस्तृत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
12.	नारियल का तेल अन्य वनस्पति तेल जैसे पॉम ऑयल, पाम कर्नेल तेल, सोयाबीन तेल आदि के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, और वनस्पति तेलों से उच्च स्तरीय प्रतिस्थापन और सस्ते विकल्प की उपलब्धता के कारण इसका सापेक्ष महत्व घट रहा है। नारियल तेल सहित खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को खाद्य तेलों, विशेष रूप से ताड़ के तेल और इसकी किस्मों पर आयात शुल्क संरचना को विश्व कीमतों से जुड़े उचित स्तर पर बनाए रखना चाहिए। वर्जिन नारियल तेल और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है, जिनकी विकसित देशों में काफी संभावनाएं और मांग है।

****